भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4772

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2019

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत उत्तम पोषकता वाले चावल को शामिल करना

4772. श्री चन्द्र शेखर साहूः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र और ओडिशा के विद्यालय के बच्चों में पोषण की कमी में सुधार करने हेतु चावल को शामिल करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त कार्यक्रम को देश के अन्य भागों में ले जाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है और इस कार्यक्रम को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): ओडिशा सरकार ने वर्ष 2012 से 2015 के बीच गजापति जिले में चावल के फोर्टीफिकेशन संबंधी योजना कार्यान्वित की। इस परियोजना में फोर्टीफिकेशन के लिए लौह आधार का प्रयोग किया गया। ओडिशा सरकार, अपने स्वयं के संसाधनों से गजापति में चावल को फोर्टीफाई करने की परियोजना चला रही है और धेनकनाल जिले में भी विभिन्न पोषक फोर्टीफिकेन्ट (लौह, जस्ता, बी1, बी2, बी12 आदि) से फोर्टीफिकेशन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के अंतर्गत चावल के फोर्टीफिकेशन से संबंधित कोई भी कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने ''चावल के फोर्टीफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उसके वितरण'' से संबंधित एक केंद्रीय प्रायोजित पायलट योजना अनुमोदित की है। यह पायलट योजना वर्ष 2019-20 से शुरू होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित की गई है। यह पायलट योजना कार्यान्वयन के आरंभिक चरण के दौरान विशेषता 1 जिला प्रति राज्य के अनुसार 15 जिलों पर केंद्रित है। इस पायलट योजना के कार्यान्वयन की संचालनात्मक जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की है। महिला

एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने क्रमश: एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के संबंध में चावल के फोर्टीफिकेशन के कारण बढ़ती हुई लागत को वहन करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अपेक्षा के अलावा आईसीडीएस और एमडीएमएस की अपेक्षा को पूरा करने की सलाह दी गई है।

*****